भारतीय रैडक्रास सोसायटी,

जिला शाखा, गुरुग्राम।

दिनांक 04.07.2018 को साय 3:00 बजे पी0 डब्लू0 डी0 रेस्ट हाउस में श्री विनय प्रताप सिंह, आई0 ए0 एस0, उपायुक्त एंव प्रधान, जिला रैडक्रास सोसायटी की अध्यक्षता में भारतीय रैडक्रास सोसायटी, जिला शाखा गुरुग्राम की कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट।

कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सरकारी एंव गैर सरकारी सदस्यों/ अधिकारियों एंव कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने भाग लिया:-

1. विनय प्रताप सिंह, आई0 ए0 एस0	उपायुक्त गुरुग्राम।
2. आर0 के0 सिंह	अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम।
3. डा0 गुलशन अरोड़ा	सिविल सर्जन, गुरुग्राम।
4. संजीव सिंघला	उपमण्डल अधिकारी (ना0) उत्तर, गुरुग्राम
5. सतीश यादव	उपमण्डल अधिकारी (ना0) दक्षिण, सोहना
6. विवेक कालिया	उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी
7. मनीशा शर्मा	नगराधीश गुरुग्राम
8. नरेन्द्र सारवान	जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी।
9. डा0 दिनेश शास्त्री	जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम।
10. राम अवतार	खादय एंव पूर्ति नियन्त्रक, गुरुग्राम।

11. अभिषेक बतरा	ई० टी० ओ०, डी० ई० टी० सी० (ईस्ट) गुरूग्राम।
12. राजीव सागवान	ई० टी० ओ०, डी० ई० टी० सी० (वेस्ट)
13. प्रताप सिंह भडाना	ई० टी० ओ०, डी० ई० टी० सी० गुरूग्राम।
14. नरेश चौधरी	ए० ई० पी० ओ० (एक्साईस)
15. दया राम	ए० ई० टी० ओ० (एक्साईज) वेस्ट
16. चाँद हुडडा	ए० ई० टी० ओ०, ई० टी० ओ०
17. भगवान दास	ई० ओ०, ज्वाईन्ट डायरेक्टर, डी० आई० सी०, गुरूग्राम।
18. शरद गोयल	सामाजिक कार्यकर्ता।
19. रितू गोयल	सामाजिक कार्यकर्ता।
20. श्याम सुन्दर	सचिव, जिला रैडकास सोसायटी, गुरूग्राम।

बैठक में बिन्दुवार विचार–विर्मश उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गएः–

	एजेण्डा	कार्यवाही
बिन्दू न01	दिनांक 16–09–2016 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी की बैठक। उपरोक्त बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट सभी मैम्बर को जारी की गई।	दिनांक 16.09.2016 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में हुई कार्यवाही की पुष्टि की गई।

बिन्दु न02	दिनांक 16–09–2016 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी की बैठक मे लिए गए निर्णय पर आवश्यक कार्यवाही अमल मे लाई गई।	अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16.09.2016 को हुई कार्यकारिणी की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट पर भी चर्चा की जिनमें निम्नलिखित बिन्दुओ पर विचार–विर्मश कर सुझाव दिएः– बिन्दु न0 –07 रैडक्रास सोसायटी गुरुग्राम की सैक्टर–23 ए0 में पौना एकड जमीन बारे। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश बिन्दु न0 20 पर दर्शाया गया है। बिन्दु न0 –09 रैडक्रास सोसायटी द्वारा पार्किंग शुरू करना। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश बिन्दु न0 07 पर दर्शाया गया है। बिन्दु न0– 10 व 11 कामकाजी महिला आवास के भवन बारे। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश बिन्दु न0 08 पर दर्शाए गए है। बिन्दु न0– 12 रैडक्रास सोसाटी फरीदाबाद एंव एलिम्को के साथ मिलकर सयुक्त रूप से दिव्यांग लोगो की सहायतार्थ प्रोजेक्ट शुरू करना।

		अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश बिन्दु न0 16 पर दर्शाये गए है। बिन्दु न0– 14 सैक्टर–4 वृद्ध आश्रम के संचालन बारे। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश बिन्दु न0 29 पर दर्शाए गए है। बिन्दु न0– 20 नशा मुक्ति अभियान अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश बिन्दु न0 36 पर दर्शाए गए है। बिन्दु न0– 23 हैरिस प्रोजेक्ट की राशि का शेयर दने बारे। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश बिन्दु न0 09 पर दर्शाए गए है। बिन्दु न0 –24 शामलात भूमि से प्राप्त आय का पॉच प्रतिशत अंशदान की राशि जिला रैडक्रास शाखाओं को देने बारे। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश बिन्दु न0 14 पर दर्शाए गए है।

बिन्दु न03	रैड कास सोसायटी व इसकी सहायक शाखाओं का वर्ष 2016–17 व 2017–18 के खातों की आडिट रिपोर्ट स्वीकृती बारे। सादर अवगत कराया जाता है कि रैड कास सोसायटी व इसकी सहायक शाखाओं जैसे सैंट जान, हस्पताल कल्याण समिति,कामकाजी महिला आवास का वर्ष 2016–17 व 2017–18 का आडिट करवा लिया गया है। पताका 1 अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृती हेतु प्रस्तुत है। निम्न आडिट रिपोर्ट अनुसार किए गए खर्चों की स्वीकृती बारे :–	अध्यक्ष महोदय एंव कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया।

नाम	आय 2016–17	व्यय 2016–17	आय 2017–18	व्यय 2017–18
जिला रैडक्रॉस सोसायटी	2,0078399.00	1,50,58,133.37	12526545.00	1,3602120. 74
सैंट जान एम्बुलैंस	27,32,162.00	10,43,242.85	34,85,497.00	15,76,631.75
हस्पताल कल्याण समिति	37,66,238.00	15,59013.28	37,00,960.00	4,15,919.00
कामकाजी महिला आवास	10,04,809.00	84556.82	8,83,290.00	5,74,685.55

बिन्दु न04	जिला रैड कास जिला रैड कास सोसायटी, गुडगांव के दिनांक 1–4–2018 से 30–6–2018 तक किए गए 57,46,696/–रू0 के खर्चे व सैन्ट जान एम्बुलैंस (इण्डिया) के 6,59,037/–रू0/हस्पताल कल्याण समिति के 26490/–रू0 के खर्चे एंव कामकाजी महिला आवास पर 1,07,945/–रू0 के खर्चे की स्वीकृती बारे।	अध्यक्ष महोदय एंव कार्यकारिणी के सदस्यो द्वारा अनुमोदित किया गया।
बिन्दु न05	रैड कास सोसायटी,गुडगांव कार्यालय के बजट बारे। सादर अवगत कराया जाता है कि रैड कास सोसायटी,गुडगांव कार्यालय का वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित बजट 1,36,70,000.00/– रू0 का तैयार कर लिया गया है। पताका 2। कृप्या स्वीकृती एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है	वर्ष 2018.19 का बजट 1,36,70,000.00/– को अनुमोदित किया गया।
बिन्दु न06	भारतीय रैड कास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ द्वारा बनाए गए सर्विस नियम बारे। भारतीय रैड कास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा द्वारा महामहिम राज्यपाल, हरियाणा–कम–अध्यक्ष, भारतीय रैड कास सोसायटी व सैंट जान एम्बूलैंस (इण्डिया), हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ द्वारा राज्य शाखा व जिला शाखाओं के लिए न0	भारतीय रैड कास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा द्वारा महामहिम राज्यपाल, हरियाणा–कम–अध्यक्ष, भारतीय रैड कास सोसायटी व सैंट जान एम्बूलैंस (इण्डिया), हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ द्वारा राज्य

	HRB-GS-2017/1960 dated 28-2-2017सर्विस नियम बनाए गए हैं जो महामहिम राज्यपाल द्वारा स्वीकृत कराए गए है। सादर अनुरोध है कि इन नियमों को जिला शाखा मे भी लागू करने के लिए भेजा गया है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (सलग्न पताका 3)	शाखा व जिला शाखाओं के लिए न0 **HRB-GS-2017/1960 dated 28-2-2017** द्वारा बनाए गए सर्विस नियमो को अनुमोदित किया गया।
बिन्दु न0 7	रैड कास सोसायटी गुडगांव को पार्किंग का कार्य देने बारे। जिला रैड कास सोसायटी का नगर निगम व प्रशासन द्वारा कमान सराय, सोहना अडडा, राजीव चौक व हुडडा सिटी सैंटर की जगह को अस्थाई समय के लिए पार्किंग चलाने के लिए दिया गया था जिससे रैड कास की आय मे वृद्वि हो। रैड कास द्वारा कुछ समय तक इन पार्किंग को चलाया भी गया परन्तु वर्तमान मे केवल सोहना अडडा पार्किंग ही रैड कास कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए अनुरोध है कि रैड कास सोसायटी को अन्य जगह की पार्किंग का कार्य दिए जाने बारे स्वीकृती प्रदान करने का कष्ट करें ताकि रैड कास सोसायटी को सामाजिक गतिविधियो के लिए कुछ राशि भी एकत्रित हो सके और कर्मचारियों के वेतन की अदायगी भी की जा सकें। स्वीकृती एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश पारित किए गए कि हुडडा सिटी सैन्टर, सैक्टर–29, गुरुग्राम की जगह पर पार्किंग चलाने हेतु एक पत्र जी0 एम0, डी0 ए0 को लिखना सुनिश्चित करें जिसमें नियम व शर्ते भी लिखी जाए कि किन नियम व शर्तो के आधार पर यह पार्किंग शुरू की जाएगी तथा इस पार्किंग से प्राप्त सारी राशि रैडक्रास सोसायटी के पास रहेगी या शेयरिंग बेस पर कितनी राशि रैडक्रास अपने पास रखे व कितना जी0 एम0, जी0 डी0 ए0, गुरुग्राम के पास जमा करवाएगा।

		तथा सोहना चौक पार्किंग जोकि रैडकास सोसायटी द्वारा संचालित की जा रही है के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उसे बिज्ञापन के माध्यम से आउट सोर्स किया जाए तथा रैडकास सोसायटी के कर्मचारियों से रैडक्रास सोसायटी का अन्य कार्य लिया जाए। शहर में यदि अन्य कोई भी जगह खाली है वह किस विभाग की है वह भी रैडकास सोसायटी पार्किंग के कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है इसके लिए सम्बधित विभाग से रैडक्रास सोसाटी सम्पर्क करेंगा।
बिन्दु न08	कामकाजी महिला आवास बारे। सादर अवगत कराया जाता है कि जिला रैड कास सोसायटी द्वारा जो कामकाजी महिला आवास सिविल लाईन, गुडगांव मे चलाया जा रहा था। इस कामकाजी महिला आवास का निर्माण वर्ष 1984 मे किया गया था। यह कामकाजी महिला आवास काफी	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए जब तक कामकाजी महिला आवास भवन को डिमोलिश कर नए भवन का निर्माण नही किया जाता तब तक इस कामकाजी महिला आवास में कमरो

	महिला आवास सिविल लाईन, गुडगांव मे चलाया जा रहा था। इस कामकाजी महिला आवास का निर्माण वर्ष 1984 मे किया गया था। यह कामकाजी महिला आवास काफी दिनों से घाटे मे चल रहा था इसलिए इस कामकाजी महिला आवास को जनवरी 2016 मे अखबार मे विज्ञापन देकर कोहिनूर वैलफेयर सोसायटी, गुडगांव को आउट सोर्स कर दिया गया। जिसने उपरोक्त आवास को सितम्बर 2017 मे छोड दिया है और वर्तमान मे रैड कास सोसायटी द्वारा चलाया जा रहा है। कामकाजी महिला आवास के जर्जर हालत को देखते हुए दिनांक 16–9–2016 की कार्यकारिणी की बैठक मे इसके भवन को डिमालिस करने बारे निर्णय लिया गया लेकिन आवास मे रहने वाली एक महिला प्रियंका मदान ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ से स्टे ले लिया जिस कारण भवन को डिमोलिस नही किया जा सका। अब माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ ने दिनांक 8–5–2018 को उपरोक्त केस को **dispose off** कर दिया है। कामकाजी महिला आवास इस समय घाटे मे चल रहा है जिसका मुख्य कारण भवन की जर्जर हालत मे होना है इसके मुरम्मत पर पी.डब्लयू.डी. विभाग द्वारा लगभग 67 लाख काखर्चा बताया है। अत अनुरोध है कि क्योंकि गुरूग्राम जिला एक विकसित जिला है और दूसरे राज्यों से भी बहुत से युवा लडके/लडकियां नौकरी के लिए इस शहर मे आते हैं जिनके रहने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो	कर नए भवन का निर्माण नही किया जाता तब तक इस कामकाजी महिला आवास में कमरो की छोटी–मोटी रिपेयर का कार्य करवा लिया जाए। रिपेयर का कार्य दो चरण में किया जाए। पहले एक तरफ की मुरम्मत का कार्य किया जाए, जिससे कि आवास मे रहने वाली महिलाओं को आवास खाली न करना पडे, इसके लिए सभी महिलॉओ को एक ही विंग में स्थानान्तरित किया जाए। एक विंग की मरम्मत का कार्य पूरा होने के उपरान्त दूसरी विंग की मुरम्मत का कार्य शुरू करवाया जाए। जो महिलॉए रह रही है उन्हे उसी अनुसार शिफट किया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कामकाजी महिला आवास के भवन को डिमोलिश न करने बारे आदेश दिए है, लेकिन कामकाजी महिला आवास में

	सके इसके लिए इस आवास मे 100–150 और नए कमरें बनाए जाने का प्रस्ताव है ताकि आवास को घाटे से बचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस आवास का फायदा मिल सके। इस बारे मे विभिन्न कालेज के प्रिंसिपल, इस्टीच्यूट, नर्सिंग होम से भी पत्र प्राप्त हुए हैं और कमरे किराए पर लेने के लिए अनुरोध किया है। (सलग्न पताका 4) स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	अतिरिक्त कमरो का निर्माण किया जा सकता है व अन्य मुरम्मत का कार्य करवाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि जो जगह कामकाजी महिला आवास में खाली पडी है वहाँ पर बहुमजिल 200 कमरो का निमार्ण करवाया जाए। निमार्ण के लिए एस0 ई0, पी0 डब्लू0 डी0 को पत्र लिखकर ड्राईग व अनुमानित खर्चे लेना सुनिश्चित करें। इस बारे में कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने एकमत होकर उपरोक्त कार्य करवाने की सहमति दी।
बिन्दु न09	हैरिस प्रोजेक्ट की राशि का शेयर देंने बारे। सादर लिखा जाता है हैरिश प्रेाजेक्ट जो कि रैड कास द्वारा चलाया जा रहा था। वर्ष	अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश दिए गए कि इस बारे में नगराधीश महोदया गुरुग्राम से

	2010 मे इस प्रोजक्ट को डी.आई.टी.एस. को स्थानांतरित कर दिया गया। हैरिश प्रोजेक्ट की कुल प्राप्त राशि का 40 प्रतिशत शेयर रैड कास को दिया जाना होता है। लेकिन वर्ष 2010 से अब तक केवल 10600/–रू0 की राशि डी.आई.टी.एस. द्वारा रैड कास को जारी की गई है। इस बारे मे ए.जी. पार्टी द्वारा भी एतराज जताया गया है तथा पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा गठित रैड कास इक्वायरी कमेटी द्वारा भी इस बारे मे एतराज जताया गया है। यंहा यह भी सादर लिखा जाता है कि दिनांक 20–01–2018 को भारतीय रैड कास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक जो महामहिम राज्यपाल–कम–अध्यक्ष, भारतीय रैड कास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई जिसमे भी हैरिश प्रोजेक्त के 40 प्रतिशत की राशि डी.आई.टी.एस. फण्ड से रैड कास सोसायटी को देने बारे कहा गया। इस बारे मे उपायुक्त महोदय द्वारा भी दिनांक 27–3–2018 को आदेश पारित किए गए कि 25 लाख रूपये की राशि तुरन्त डी.आई.टी.एस. फण्ड से जिला रैड कास सोसायटी को जारी की जाए लेकिन अभी तक भी उपरोक्त राशि जारी नही की गई है। यंहा यह भी सादर अवगत कराया जाता है कि महा महिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा राज्य की सभी शाखाओं का आंतरिक आडिट करवाया जा रहा है। गुरूग्राम शाखा का अभी यह आडिट नही हुआ है और दिनांक 19–7–2018 से 21–7–2018 तक पत्र कमाक 2404 दिनाक 27–6–2018 जो माननीय उपायुक्त–एव–प्रधान, जिला रैड कास सोसायटी, गुरूग्राम को लिखा है जिसमे उनकी टीम आडिट करने के लिए गुरूग्राम आ रही है । इसलिए अनुरोध है कि डी.आई.टी.एस. को वर्ष 2010 से अब तक कुल राशि का 40 प्रतिशत राशि देने बारे आदेश पारित करने का कष्ट करें। ताकि इस बारे मे कोई भी आडिट पैरा न बनाया जा सके।	आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु बात की जाए तदोपरान्त इस बारे में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि वर्ष 2010 के बाद हैरिस प्रोजेक्ट में रैडक्रास सोसायटी का क्या योगदान रहा है जिसकी एवज में हैरिस प्रोजेक्ट का शेयर दिया जाए यह भी स्पष्ट किया जाए।
बिन्दु न010	श्रीमति उर्मिल रईश, पूर्व वार्डन को सेवा निवृत उपरांत दिए जाने वाले लाभ बारे।	अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि श्रीमति उर्मिला रईस, पूर्व वार्डन दिनांक 30.04.

	सादर लिखा जाता है कि श्रीमति उर्मिल रईश, पूर्व वार्डन को कार्यालय के पत्र कमाक 498 दिनांक 4–6–2016 के द्वारा समय से पूर्व सेवा निवृत कर दिया गया था जिस पर उसने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ से स्टे ले लिया और अब दिनांक 30–4–2018 को श्रीमति उर्मिल रईश 58 वर्ष की आयु पूरी करने उपरांत सेवा निवृत हो चुकी है। इस बारे मे माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 8–5–2018 द्वारा आदेश पारित किए गए हैं कि श्रीमति उर्मिल रईश को आदेश की तिथि से 3 महीने के अन्दर सेवा निवृत के लाभ प्रदान कर दिए जाएं। इस सन्दर्भ मे श्रीमति उर्मिल रईश को दिए जाने वाले लाभ के बारे मे ए.डी.ए./लेखाधिकारी से मार्गदर्शन व गणना कराने उपरांत श्रीमति उर्मिल रईश, पूर्व वार्डन को लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	2018 को 58 वर्ष की आयु पूरी करने उपरान्त सेवा निवृत हो चुकी है उनका अन्तिम वेतन माह अप्रैल का कार्यालय के पत्र क्रमांक आर0 सी0/2018/777 दिनांक 01.05.2018 द्वारा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया। श्रीमति उर्मिल रईस पूर्व वार्डन को सेवा निवृति के दिए जाने वाले लाभ के सम्बध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि इस बारे में अलग से उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाए। इस सन्दर्भ में निर्देशो की पालना में श्रीमति उर्मिला रईस पूर्व वार्डन को सेवा निवृत दिए जाने वाले लाभ के सम्बध में फाईल उपायुक्त महोदय के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई है। तथा श्रीमति उर्मिल रईश को दिए जाने वाले लाभ के बारे मे ए.डी.ए./लेखाधिकारी से मार्गदर्शन व गणना करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

बिन्दु न0011	अधिवक्ता (लीगल एडवाईजर) नियुक्त करने बारे। भारतीय रैड कास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ के पत्र कमाक 10156–77 दिनांक 9–3–2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ मे रैड कास का कोई भी कोर्ट केस होता है तो उसकी पैरवी हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ द्वारा अधिकृत अधिवक्ता श्री प्रतीक गुप्ता, द्वारा निर्धारित फीस अनुसार ही की जाएगी। जिला गुरूग्राम मे कोर्ट मे कोई भी केस चल रहा है तो उसके लिए हुडडा/एम.सी.जी. के पैनल पर निर्धारित की गई फीस अनुसार अधिवक्ता को दिए जाने का प्रस्ताव है। (सलग्न पताका 5) स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	अध्यक्ष महोदय एंव कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया।
बिन्दु न0012	प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने बारे। सादर लिखा जाता है कि भारतीय रैड कासंसोसायटी, हरियाणाराज्य शाखा, चण्डीगढ के पत्र कमाक 1449–58 दिनांक 4–5–2018 के माध्यम से जो उपायुक्त–एवं–प्रधान, जिला रैड कास सोसायटी, गुरूग्राम को लिखा गया है जिसमे लिखा है कि गुरूग्राम जिले मे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने का निर्देश दिया है। इस बारे मे	प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोलने बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि इस प्रकार का औषधि केन्द्र नगर–निगम द्वारा पहले ही खोला गया है इसलिए उपरोक्त औषधि केन्द्र का कार्य कैसा चल रहा है इसका परिणाम

	सामान्य हस्पताल, गुरुग्राम एवं सामान्य हस्पताल के सामने वीटा बूथ के बाहर उपरोक्त केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	देखा जाए तदोपरान्त इस बारे में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।
बिन्दु न0 13	जिला रैड क्रास सोसायटी द्वारा गाडी पासिंग के समय रिफलैक्टर लगाने का कार्य शुरू करने बारे। सादर लिखा जाता है कि वर्ष 2017 मे तत्कालीन उपायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 31—5—2017 को गाडियों के पासिंग के समय लगाई जाने वाली रिफलैक्टर टेप के कार्य को शुरू करने बारे स्वीकृती प्रदान की गई थी। इस कार्य को रैड कास कर्मचारियों के माध्यम से शुरू किया जाता है तो रैड काससोसायटी की आय का स्रोत्र भी बनेगा और वाहन मालिकों को बढिया क्वालिटी की रिफलैक्टर टेप भी उपलब्ध होगी। वर्तमान मे बगैर अनुमति के ही कुछ लोग इस कार्य को कर रहे हैं उनकी रिफलैक्टर टेप क्वालिटी बहुत अच्छी नही है। जिससे आमजन को परेशान भी कर रहे है। इस बारे मे एक पत्र कमाक 670 दिनांक 24—6—2016 सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, गुडगांव से उपायुक्त महोदय को लिखा गया था जिसमे अनुरोध किया गया था कि उपरोक्त कार्य को जिला रैड कास सोसायटी को दिया जाना उचित होगा।	अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बारे में निर्देश दिए गए कि रिफलैक्टर टेप लगाने से सम्बधित कार्य को शुरू करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त—कम—आर0 टी0 ए0 से विचार—विर्मश कर लिया जाए तदोपरान्त ही इस बारे में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस कार्य को रैडक्रास सोसायटी द्वारा बोली के माध्यम से किसी फर्म/व्यक्ति को कार्य करने के लिए अलॉट किया जाएगा और जिला रैडकास सोसायटी नियमित रूप से कार्य पर निगरानी करेगा। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त महोदय द्वारा सहमति दी गई और कहा कि

	उपरोक्त रिफलैक्टर का कार्य रैड कास सोसायटी द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है तथा दर निर्धारित करने के लिए तीन सदस्यों की कमेटी गठित किए जाने का भी प्रस्ताव है। पताका । स्वीकृती एवं अनुमोदनार्थ।	अच्छी क्वालटी एम0 3 का टेप इस्तेमाल करें। इस बारे में नियम व शर्ते भी अकिंत की जाएगी तथा बोली के लिए तीन सदसीय कमेटी आर0 टी0 कार्यालय के अधिकारी, सचिव, जिला रैडक्रास सोसायटी, जिला नाजर की गठित की गई। उपरोक्त कार्य शीघ्र शुरु किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
बिन्दु न0 14	शामलात भूमि से प्राप्त आय मे से 5 प्रतिशत अंशदान की राशि जिला रैड कास शाखाओं को देने बारे। सादर अवगत कराया जाता है कि दिनांक 16–9–2016 को सम्पन्न हुई जिला रैड कास सोसायटी की कार्यकारिणी की बैठक मे भी यह एजेन्डा मीटिंग मे रखा गया था लेकिनसादर अवगत कराया जाता है कि माननीय महामहिम राज्यपाल, हरियाणा की घोषणा के पश्चात आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार (हरियाणा एवं पंचायत विभाग) द्वारा पत्र जी0ए0–86 / 8701–823 दिनांक 25–2–1986 प्रति संलग्न है के द्वारा पंचायतों के अंशदान से फिट चार्ज भारतीय रैड कास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा व इनकी जिला शाखाओं को देने बारे आदेश जारी किये गए थे जिसके तहत 5	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी, गुरुग्राम को शामलात पंचायत भूमि से प्राप्त आय में से 5 प्रतिशत की राशि देने बारे पत्र लिखा जाए, जिसमें वर्ष 2010 से अब तक कितनी राशि दी जानी है। इसके अतिरिक्त नगर–निगम को भी पत्र जारी करने बारे निर्देश दिए गए कि वे नगर–निगम की शामलात भूमि में से 5 प्रतिशत की राशि जिला रैडक्रास सोसायटी

	प्रतिशत अंशदान खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा जिला रैड कास शाखाओं को भेजा जाना निश्चित है। यंह यह भी सादर अवगत कराया जाता है कि केवल खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोहना द्वारा ही मु0 50000/– रू0 की राशि रैड कास कार्यालय मे जमा करवाई है। इस बारे मे जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, गुडगांव को निर्देश दिए जांए कि उपरोक्त राशि जिले के सभी खण्ड एवं विकास अधिकारी तुरन्त रैड कास कार्यालय मे जमा करवाना सुनिश्चित करें। यंहा यह भी सादर लिखा जाता है कि पंचायतों से जो राशि प्राप्त होती है वह राशि पंचायत के ही जन हित कार्यों के लिए खर्च की जाती है।	को देना सुनिशित करे। उपरोक्त की पालना में बैठक में जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय को बताया गया कि वे इस बारे में कार्यवाही शीघ्र ही अमल में लेगें तथा सम्बधित खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी को 5 प्रतिशत शामलात भूमि की राशि जिन पंचायत की स्थिति अच्छी है उनसे दिलवाना सुनिश्चित करेंगें। वर्ष 2017–18 की राशि प्रथम चरण में देगे और वर्ष 2010 से बकाया राशि पंचायत फंड से निकलवाकर देना सुनिश्चित करेगे।
बिन्दु न0 15	विश्व रैडक्रास दिवसः– हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ के पत्र कमांक डब्लू0 आर0 सी0 डी0/एच0/2018/9424 दिनांक 19.02.2018 के सन्दर्भ में राज्य स्तरीय समारोह विश्व रैडक्रास दिवस दिनांक 08.05.2018 को किंगडम ऑफ ड्रीम में आयोजित किया गया, (सलग्न पताक 6) जिसकी अध्यक्षता माननीय महॉमहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा की	अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला रैडक्रास सोसायटी गुरुग्राम द्वारा भारतीय रैडक्रास सोसायटी चण्डीगढ के सहयोग से 08 मई 2018 को विश्व रैडक्रास दिवस का आयोजन किंगडम

	गई। उपरोक्त समारोह के लिए 10 लाख रूपये की राशि अधिकृत की गई थी। राज्य स्तरीय समारो पर कुल 13,67,162/रूपये खर्च हुआ है जिससे बाकी खर्च रैडकास सोसायटी, गुरुग्राम द्वारा वहन किया जाना है। भारतीय रैडकास सोसायटी द्वारा पत्र कमांक डब्लू0 आर0 सी0 डी0/एच0/2018/1754 दिनांक 31.05.2018 भेज कर लिखा गया है कि कार्यकम के खर्चो के बिल व खर्चे का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए। (सलग्न पताक 7) इस राज्य स्तरीय समारोह में 1500–2000 लोगो ने भाग लिया और कार्य पूर्ण रूप से सफल रहा जिसके लिए राजभवन, चण्डीगढ द्वारा भी कार्यकम की प्रशंसा की गई और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। पत्र कमांक डब्लू0 आर0 सी0 डी0/एच0/2018/1754 दिनांक 31.05.2018 के माध्यम से मूल बिल एंव उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजे जाने का प्रस्ताव है। स्वीकृति एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	ऑफ ड्रीम में किया गया था, जिसके लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त कार्यक्रम के बारे प्रशंसा की व उक्त कार्यक्रम के आयोजन पर किए गए खर्चे 13,67,162/– रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई इस राज्य स्तरीय समारोह में 1500–2000 लोगो ने भाग लिया और कार्य पूर्ण रूप से सफल रहा जिसके लिए राजभवन, चण्डीगढ द्वारा भी कार्यकम की प्रशंसा की गई और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया तथा अध्यक्ष महोदय एंव कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यो द्वारा भी इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सराहना की गई। सर्व सम्मत्ति से कार्यकारिणी बैठक के सदस्यों द्वारा विश्व रैडक्रास दिवस पर हुए खर्चे की स्वीकृति प्रदान की और 10 लाख रूपये तक के बिल एंव

		उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी भारतीय रैडक्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ को भेजने बारे सहमति व्यक्त की गई।
बिन्दु न0 16	दिव्यागो के लिए कैम्प का आयोजन:– दिव्यांगों के लिए कैम्प का आयोजन सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, एलिम्को द्वारा एडिम स्कीम के तहत जिले के सभी उपमण्डल स्तर, जिला स्तर पर माह जुलाई में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। जिससे कि माह अगस्त–2018 में हजारो दिव्यांगजन को आवश्यकता अनुसार उपकरण जैसे:– तिपहियॉ साईकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, बैटरी चलित तिपहियॉ साईकिल उपलब्ध करवाई जा सके। कैम्प के आयोजन से पूर्व जिले में सर्वे करवाया जाना है जिसके लिए समाज कल्याण विभाग, सामाजिक संगठन, नेहरू युवा केन्द्र सहित विभिन्न विभागो के सहयोग की आवश्यकता है। जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी (पंचायत विभाग) द्वारा सरपंचो के माध्यम से दिव्यांगजन की सूची प्राप्त करने तथा समाज कल्याण विभाग से जो दिव्यांगजन पैन्शन ले रहे है उनकी सूची प्राप्त करने के लिए, जी0 एम0, हरियाणा रोडवेज द्वारा जिन दिव्यांगजन के पास बनाए गए है उनकी सूची प्राप्त करने के लिए	अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन के लिए एलिम्को कानपुर के सहयोग से मूल्यांकन शिविर का आयोजन माह जुलाई या अगस्त में किया जाना है। इस शिविर में दिव्यांगजन के मूल्यांकन उपरान्त उन्हे उपकरण प्रदान किए जाएगे। इस बारे में अध्यक्ष महोदय निर्देश दिए कि दिव्यांग जन को सहायक उपकरण हेतू शिविर के आयोजन के साथ–साथ जिन दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग की आवश्यकता होती है उनके लिए एलिम्को, किसी सामाजिक संगठन, रैडक्रास सोसायटी फरीदाबाद द्वारा संचालित विकलॉग केन्द्र का

	तथा सिविल सर्जन कार्यालय से जिन दिव्यांगजन का मेडिकल बना है उनकी सूची लिए जाने का प्रस्ताव है। अप्रैल 2017 से अब तक कुल 55 तिपहियॉ साईकिल, 07 वील चेयर एंव 15 जोडो बैसाखी प्रदान की गई है। वर्ष 2016–17 एंव 2017–18 में विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे फलोर डेनियल, भगवान महॉबीर विकलॉग सहायता समिति,जयपुर फुटवियर, भगवान इन्टरनेशनल सहायता समिति फरीदाबाद एंव एलिम्को कानपुर भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन के लिए कैम्प लगाए गए। जिसमें गुरूग्राम जिले सहित विभिन्न जिलो के 1000 से भी अधिक दिव्यांगजन को उपकरण एंव सहायक अंग उपकरण वितरित किए गए। अनुमोदनार्थ एंव स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	सहयोग समय–समय पर लिया जाए।
बिन्दु न0 17	कॉकलियर इम्पलान्ट बारे। मूक एंव बधिर बच्चे जिनकी आयु 0 से 5 वर्ष तक है उनके लिए भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ कार्यालय से पत्र कमांक कॉकलियर इम्पलान्ट/2017/1325–1346 दिनांक 16.05.2017 प्राप्त हुआ। जिला शाखा द्वारा 31 बच्चो (मूक एंव बधिर) की सूची भेजी गई थी (सलग्न पताक 8) अब पुनः वर्ष 2018 में मूक एंव बधिर बच्चोके आप्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जिला रैडकास सोसायटी में आरम्भ	अध्यक्ष महोदय द्वारा कॉकलियर इम्पलान्ट का कार्य जोकि रैडकास सोसायटी द्वारा किया जा रहा है उसकी प्रशंसा की तथा निर्देश दिए कि भविष्य में भी इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य जनहित में ज्यादा से ज्यादा किए जाए एंव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्रालय

	कर दिए गए है, कॉकलियर इम्पलान्ट के लिए सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीढ द्वारा पारस हस्पताल, गुरूग्राम को अधिकृत किया गया है तथा इस आप्रेशन पर होने वाला खर्च जोकि 7–10 लाख रूपये है वह भी सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा ही वहन किया जाएगा।	भारत सरकार को सभी नाम उनकी वेब साईट पर **upload** किए जाए और यदि पारस हस्पताल को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है तो उनसे व सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से पत्र प्राप्त कर लिया जाए ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
बिन्दु न0 18	<u>टी0 आई0 प्रोजेक्टः–</u> हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ द्वारा हरियाणा एडस कन्ट्रोल सोसायटी, स्वास्थ विभाग हरियाणा द्वारा 500 + 200 (700) ग्रस्ति लोगो के लिए प्रोजेक्ट मिला है। जिसका सारा खर्च हरियाणा एडस कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा वहन किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट में कर्मचारी भी हरियाणा एडस कन्ट्रोल सोसायटी द्वाराही नियुक्त कर भेजे जा रहे है। यह प्रोजेक्ट रैडकास भवन में ही शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कैबिन बनवाए जाने का प्रस्ताव है। अधिक से अधिक लोग इस बीमारी से बचे रहे व जानकारी देने हेतु उपमण्डल स्तर एंव जिला स्तर पर होर्डिंग बोर्डस लगाए जाने का प्रस्ताव है। स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	टी0 आई0 प्रोजेक्ट शुरू किए जाने बारे स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्देश दिए गए कि यदि स्टाफ चण्डीढ द्वारा लगाया जाना है तो वह स्वीकृति पत्र तथा जिला शाखा गुरूग्राम द्वारा लगाया जाना है तो वह पत्र भी मंगवाया जाए तथा कार्यवाही अमल में लाई जाए।

बिन्दु न0 19	डी0 प्लान के तहत दो कमरों का निर्माण करने बारे– जिला रैडकास सोसायटी, चन्दन नगर, सैक्टर–15, पार्ट–2, गुरुग्राम में डी0 प्लान के तहत नगर–निगम गुरुग्राम द्वारा दो कमरों का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य बीच में ही रोक दिया गया जिसका मुख्य कारण ग्रान्ट रिलिज न होना है। प्रस्ताव है कि नगर–निगम, गुरुग्राम को पत्र लिखकर रोके गए निमार्ण कार्य को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया जाए जिससे कि ट्रैनिंग हॉल का कार्य पूरा हो सके। स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	डी0 प्लान के तहत अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय द्वारा दो कमरे बनाने बारे स्वीकृति दी गई थी तथा उक्त कमरो का निमार्ण कार्य अधूरा रह गया जिसके लिए अध्यक्ष महोदय द्वार निर्देश दिए गए है कि उपरोक्त निमार्ण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम को पत्र लिखा जाए तथा रैडक्रास स्टाफ द्वारा इस सन्दर्भ में अधिकारियों से सम्पर्क भी किए जाने बारे निर्देश दिए गए। निर्देशों की पालना में अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को पत्र लिख दिया गया है।
बिन्दु न0 20	सैक्टर–23 ए0 स्थित रैडकास सोसायटी की पौना एकड जमीन का इस्तेमाल करने बारे। सादर अवगत कराया जाता है कि रैडकास सोसायटी की पौना एकड जमीन सैक्टर–23 ए0 में कोलम्बिया हस्पताल के पास है। वहॉ पहले आपदा के समय राहत	सैक्टर –23 ए0 रैडक्रास सोसायटी की पौना एकड जमीन का इस्तेमाल करने बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए है कि इस जमीन पर आस–पास के लोगो द्वारा किसी प्रकार का

	सामग्री एकत्रित की जाती थी परन्तु अब वो जर्जर हालत में है तथा साथ में समतल जमीन खाली है जिसका इस्तेमाल करके रैडकास सोसायटी को नियमित आय प्राप्त हो सकती है। इसके लिए उपरोक्त जमीन को बोली के माध्यम से किराए पर अथवा यूथ होस्टल, पी0 जी0 बनाकर या अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जिससे कि रैडकास सोसायटी को नियमित आय प्राप्त हो सके व जमीन पर कब्जा होने से भी बचाया जा सके। इस जमीन पर पी0 जी0 बनवाए जाने से विभिन्न कम्पनी में एंव विभिन्न विभिन्न विभागो में कार्यरत युवाओ को कम दर पर रहने के लिए सुविधा प्राप्त हो पाएगी। व रैडकास सोसायटी को आय प्राप्त हो सकेगी। इससे प्राप्त आय को जनहित में खर्च किया जाएगा। स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	कब्जा किया हुआ है तो उसे हटवाया जाए, बाहरी दीवार करवाई जाए ताकि कोई इस जगह पर कब्जा न कर सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि सी0 एस0 आर0 से इस जगह कोई पी0 जी0 या यूथ हास्टल बनाने बारे कार्यवाही की जाए तथा इस जमीन का नक्शा तथा जगह की लोकेशन अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत की जाए ताकि इस बारे में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि सी0 एस0 आर0 इत्यादि से राशि खर्च करनी है तो पी0 आर0 ओ0, उपायुक्त कार्यालय को पत्र लिखा जाए यदि किसी कारण वश सी0 एस0 आर0 से कोई प्रावधान नही बनता है तो रैडक्रास सोसायटी में उपलब्ध राशि से उपरोक्त कार्य का निमार्ण करने बारे

		आगामी कार्यवाही करते हुए नक्शा इत्यादि दिखाकर एक्सियन, पी0 डब्लू0 डी0 के माध्यम से करवा लिया जाए।
बिन्दु न0 21	रक्तदान शिविरो के आयोजन बारे:– रक्तदान शिविरो का आयोजन समय–समय पर रैडकास सोसायटी द्वारा ब्लड बैंक साथ मिलकर किया जाता है। वर्ष 2017 में रैडकास सोसायटी द्वारा 102 शिविरो का आयोजन किया गया, जिससे 3533 .ईकाई रक्त एकत्रित किया गया। जबकि पूरे जिले मे 12203 ईकाई रक्त एकत्रित हुआ। जिला रैडकास सोसायटी द्वारा सरकारी ब्लड बैंक में रक्त एकत्रित करवाने के साथ–साथ रैडकास सोसायटी, इण्डियन हैडक्वाटर, नई दिल्ली, ब्लड बैंक फरीदाबाद को भी समय–समय पर रक्त उपलब्ध करवाया गया है। रक्तदान की सेवाओ को बढाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव है:– 1. जिला शिक्षा अधिकारी को बडे स्कूलो में रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए पत्र लिखे जाने का प्रस्तावा है। 2. विभिन्न कम्पनियों में रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए पत्र लिखना। 3. कालेज में प्राचार्य को पत्र लिखकर समय–समय पर कालेज में रैडकास के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन करने हेतू।	अनुमोदित किया गया और निर्देश दिए गए कि रक्तदान को बढावा देने के लिए और अधिक गति से काम किया जाए व जिले में चल रहे सभी प्राईवेट हस्पताल, ब्लड बैंक में जो रक्त एकत्रित होता है उसका भी पूर्ण ब्यौरा प्राप्त किया जाए। जिससे कि चण्डीगढ के उच्च अधिकारियों को गुरूग्राम में साल भर में एकत्रित होने वाले रक्त का पूरा ब्यौरा दिया जा सके।

	4. एल0 डी0 एम0 को पत्र लिखकर सभी बैंकों में रैडक्रास सोसायटी के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन करना। 5. सभी ग्राम पंचायतो को रक्तदान शिविर का आयोजन करने बारे पत्र लिखना। 6. जिला स्तर पर अधिकारियों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन। 7. नगर–निगम कार्यालय में वर्ष में दो बार कैम्प का आयोजन करने के लिए पत्र लिखना। 8. कालेज में दाखिले के समय सभी युवाओ से रक्तदान का फार्म भरवाने के लिए कालेज प्राचार्य को पत्र लिखना। 9. रक्तदान शिविरो के आयोजन के लिए वर्ष में 12 वर्कशॉप का आयोजन एंव सेमीनार आयोजित किए जाने का प्रस्तावा है तथा 10 होर्डिगं बोर्डस रक्तदान जागरूकता के लिए लगाए जाने का प्रस्ताव है। स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	
बिन्दु न0 22	फर्स्ट एड ट्रैनिंग हॉल में ट्रैनिंग के लिए एल0 सी0 डी0 प्रोजेक्टर, बडी एल0 ई0 डी0 एंव कान्फ्रैन्स टेबल व चेयर लेने बारे:– डी0 प्लान के तहत जिला रैडक्रास सोसायटी भवन में दो कमरो का निर्माण किया	अनुमोदित किया गया व स्वीकृति प्रदान करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि एल0 सी0 डी0 प्रोजेक्टर हारट्रोन अथवा एन0 आई0

	जा रहा है। रैडकास सोसायटी के पास युवाओ को फर्स्ट एड एंव होम नर्सिंग ट्रैनिंग देने के लिए जगह का अभाव था जिसके लिए डी0 प्लान के तहत ट्रैनिंग हॉल बनाया जा रहा है। ट्रैनिंग हॉल के लिए कॉन्फ्रेन्स टेबल व चेयर बनवाई जानी है जिसके लिए वन विभाग अथवा मानेसर कम्पनी से कॉन्फ्रेन्स टेबल व चेयर बनवाए जाने तथा एल0 सी0 डी0 प्रोजेक्टर एंव एल0 ई0 डी0 हारट्रोन अथवा सरकारी द्वारा निर्धारित ऐजेन्सी से खरीदे जाने का प्रस्ताव है। यह खर्च सैन्ट जोहन एम्बुलैंस (इण्डिया) के खाते से वहन किया जाएगा। स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	सी0 से सम्पर्क कर कुटेशन लेकर खरीदा जाए तथा कॉन्फ्रेन्स टेबल बनवाने हेतू वन विभाग अथवा **Gee ken** कम्पनी मानेसर से कुटेशन मंगवाई जाए।
बिन्दु न0 23	टी0 बी0 प्रोजेक्ट बारे। भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ द्वारा टी0 बी0 प्रोजेक्ट दिया गया है, जिला रैडकास सोसायटी कुल 40–50 लोगो को जो टी0 बी0 से पीडित है उन्हे स्वास्थ परिवार एक प्रयास की टीम के साथ मिलकर दवाईयॉ व न्यूट्रिशियन उपलब्ध करवा रही है। यह कार्य माह सितम्बर– 2017 से आरम्भ किया गया था। इसके लिए अनुदान राशि 75000/–रूपये भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ से प्राप्त हुई तथा 105120/–रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदत किया गया। सर्व सम्मति से टी0 बी0 प्रोजेक्ट पर हुए खर्चे की स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ यह भी स्वीकृति प्रदान की गई कि यह प्रोजेक्ट जून–2018 तक चलाया गया। तथा आगे प्रोजेक्ट तब आरम्भ किया जाएगा जब भारतीय रैडक्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ से निर्देश प्राप्त होगे या पत्र प्राप्त होगा।

बिन्दु न0 24	रैडकास सोसायटी का आजीवन सदस्य बनाने बारे। रैडकास सोसायटी की गतिविधियों को आमजन तक पहुँचाने के लिए एंव अधिक से अधिक लोगो को रैडकास सोसायटी का लाभ मिले इसके लिए भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ से पत्र कमांक 6260–6280 दिनांक 16.11.2016 द्वारा अधिक से अधिक लाईफ मैम्बर बनाने (माह में कम से कम 50 लाईफ मैम्बर) के लिए आदेश दिए गए है (सलग्न पताक 9) जिला रैडकास सोसायटी द्वारा अधिक से अधिक लाईफ मैम्बर बनाए जाने का कार्य जारी है इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव है:– 1. जिले की सभी ग्राम पंचायतों को रैडकाससोसायटी का आजीवन सदस्य बनाया जाए। 2. जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर/प्रिन्सिपल को रैडकास सोसयटी का आजीवन सदस्य बनाया जाए। 3. जिले की सभी कम्पनियों के डायरेक्टर को रैडकास सोसायटी का आजीवन सदस्य बनाना एंव जिले के सभी विभागों के मुख्य अधिकारी को रैडकास सोसायटी का आजीवन सदस्य बनाना। इसके साथ–साथ सामाजिक संगठनों,	जिले भर में रैडक्रास सोसायटी की गतिविधियों को आमजन तक पहुँचाने के लिए अधिक से अधिक आजीवन सदस्य, वार्षिक सदस्य बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई व प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण एवं होम नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओ को भी इसमें शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए।

	सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी रैडकास सोसायटी का आजीवन सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव है। स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	
बिन्दु न0 25	डकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ द्वारा सविधान/नियमावली अनुसार राज्य/जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने बारे। भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ के आदेशानुसार माननीय उपायुक्त एंव प्रधान महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.06.2018 द्वारा जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है (सलग्न पताका)	अनुमोदित किया गया।
बिन्दु न0 26	आडिटर नियुक्त करने बारे। जिला रैडकास सोसायटी की विभिन्न शाखाओं का आडिट करने के लिए वर्ष 2017–18 एंव वर्ष 2018–19 के लिए कुटेशन के आधार पर राकेश रंजन एण्ड कम्पनी के रेट सबसे कम है इसलिए राकेश रंजन एण्ड कम्पनी को वर्ष 2017–18 एंव वर्ष 2018–19 का आडिट करने हेतु आडिटर नियुक्त कर लिया गया है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदित किया गया व निर्देश दिए गए कि जो सदस्य बनाए गए है उन्हे समय–समय पर रैडक्रास सोसायटी की गतिविधियों में शामिल कर सहयोग व मार्ग दर्शन लेवें।

बिन्दु न0 27	बेटी बचाओ अभियान। जिला रैडकास सोसायटी गुरुग्राम द्वारा जिला प्रशासन के मार्ग दर्शन में बेटी बचाओ अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस काम में रैडकास सोसायटी के सामाजिक कार्यकर्ता एंव लिंग जॉच की सूचना देने वालो का नाम भी लगाया गया है। अभियान को दो रूपो में शुरू किया गया है:– 1. प्रचार–प्रसार एंव जागरूकता कार्यक्रम के तहत बेटी बचाओ, जन्म कुंआ पूजन, बेटी जन्म पर थाली बजाना, वर्कशॉप सेमीनार, युवाओं जागरूक करना, महिलॉओ की टीम बनाना। 2. रैडकास सोसायटी की जागरूक टीम के सहयोग से सभी अल्ट्रासाउन्ड पर निगरानी रखना और भ्रूण लिंग जॉच में शामिल लोगो को पकडवाना। 3. स्वास्थ्य विभाग को / प्रशासन को सूचना देना और पी0 एन0 डी0 टी0 रेड करना। 4. जून 2015 से अब तक 34 से अधिक रेड की है,50 से अधिक लोगो पर केस दर्ज, सभी में रैडकास भी शामिल रहा। जिन्हे पी0 एन0 डी0 टी0 टीम का बतौर सदस्य शामिल किया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित	अध्यक्ष महोदय द्वारा बेटी बचाओ अभियान के लिए किए गए कार्यो की प्रशंसा की गई तथा प्रचार–प्रसार के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्देश दिए गए कि जो बिन्दू न0 27 में प्रस्ताव दर्शाए गए है उन पर कार्य शुरू करें जिसके लिए सचिव को अधिकृत किया गया और तीन सदसीय कमेटी सचिव रैडक्रास सोसायटी, सहायक सचिव, रैडक्रास सोसायटी एंव लेखाकार रैडक्रास सोसायटी की गठित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा इस पर होने वाले खर्च को हस्पताल कल्याण समिति से करवाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया

	प्रस्ताव है:– 10 वर्कशॉप जागरूकता हेतू। एक एप बनाना जहाँ कोई भी व्यक्ति सूचना दे सके। मुख्य स्थानो पर 10 होर्डिंग बोर्ड सूचना देने के लिए। गुप्त टीम को अल्पाहार, किराया–भाडा एंव थोडा सा मानदेय हस्पताल कल्याण समिति अथवा जिला कल्याण समिति से दिए जाने का प्रस्ताव है। कुछ सामान जो पी0 एन0 डी0 टी0 रेड में जरूरी है मार्किट से लिए जाने का प्रस्ताव है। ग्राम पंचायत/पी0 ओ0, आई0 सी0 डी0 एस0/एन0 जी0 ओ0 के साथ हर तीन माह मेंबैठक किए जाने का प्रस्ताव है।	
बिन्दु न0 28	पॉलिथीन मुक्त अभियान। रैडक्रास सोसायटी द्वारा नगर–निगम, जिला प्रशासन के सहयोग से जिले भर में पॉलिथीन मुक्त अभियान शुरू किया गया है। जिला जेल भौण्डसी का भी सहयोग लिया जा रहा है। अब तक एक लाख लोगो को बगैर लाभ–हानि के कपडे का थैला जिला जेल भैण्डसी स्वम सहायता समूह के माध्यम से तैयार करवाकर दिया गया है। प्रस्ताव	अनुमोदित किया गया तथा जिले भर में पॉलिथीन मुक्त अभियान को और अधिक गति से चलाने का निर्देश दिया गया व यह भी निर्देश दिया गया कि सचिव रैडक्रास सोसायटी जिला उपायुक्त के माध्यम से सभी स्कूलो को

	है कि:— 1. विभिन्न कम्पनियों को कपडा उपलब्ध करवाने बारे। 2. सी0 एस0 आर0 के तहत दान के स्वरूप में थैले अथवा कपडा अथवा दान राशि हस्पताल कल्याण समिति में दिए जाने का प्रस्ताव है। 3. पॉलिथीन मुक्त अभियान के लिए जिले की मेन मार्किट/सैक्टर में 10 कैनोपी लगाकर बेरोजगार महिलॉओ को कपडे का थैला आमजन को उपलब्ध करवाने के लिए जगह उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है।	एक—एक पत्र लिखा जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि स्कूल में बच्चो की सख्या के अनुसार वे कपडे के थैले खरीदे जिससे कि पॉलिथीन का इस्तेमाल न हो। वही दूसरी ओर जिला जेल के बन्दियों को एंव स्वम सहायता समूह की महिलॉओ को काम मिल सके। इसके साथ—साथ यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि विभिन्न कम्पनियों को भी कपडा उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध पत्र लिखा जाए।
बिन्दु न0 29	वृद्व आश्रम के संचालन बारे। जिला रैडकास सोसायटी द्वारा सैन्ट जोसफ सोसायटी को सैक्टर—4 देवी लाल ओल्ड ऐज होम महिलॉओ के लिए वृद्व आश्रम संचालन हेतू हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। यह वर्ष 2010 से चलाया जा रहा है। वृद्व आश्रम में कुछ मरम्मत आदि का कार्य करवाया जाना है जिसके लिएभवन के मालिक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरणको पत्र लिखे जाने का प्रस्ताव है साथ ही आगामी तीन वर्ष के लिए सैन्ट जोसफ सोसायटी को देवी लाल वृद्व आश्रम, महिला वृद्व	अध्यक्ष महोदय द्वार निर्देश दिए गए कि सैन्ट जोसफ सोसायटी जो वृद्व आश्रम चला रही है वो अपने खर्चे पर भवन की रिपेयर/मुरम्मत का कार्य करवा सकते है। नए निर्माण के बारे में उन्हे अन्नापत्ति प्रमाण—पत्र रैडक्रास सोसायटी गुरुग्राम से लेना होगा। उसके बाद नए निर्माण का कार्य वृद्व आश्रम, सैक्टर—4,

<table>
<tr><td></td><td>आश्रम चलाने के लिए दिए जाने का प्रस्ताव है।</td><td>गुरुग्राम में सैन्ट जोसफ सोसायटी अपने खर्च पर कर सकती है। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि सैन्ट जोसफ सोसायटी को सैक्टर–4, वृद्ध आश्रम में तीन वर्ष के लिए वृद्ध आश्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।</td></tr>
<tr><td>बिन्दु न0 30</td><td>कामकाजी महिला आवास के लिए बाहरी स्त्रोत एजैन्सी से स्टॉफ बारे।

सादर लिखा जाता है कि कामकाजी महिला आवास को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाहरी स्त्रोत से उपायुक्त दर पर वार्डन, स्वीपर, माली, गार्ड रखा गया है। पार्ट टाईम प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन की मदद की जाती है। समय–समय पर रैडक्रॉस के कर्मचारी भी सेवा देते है। जिनमें सहायक सचिव, लेखाकार, चालक, सेवादार शामिल है। वर्तमान में यह आवास घाटे में चल रहा है।
हरियाणा राज्य रैडक्रॉस सोसायटी, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक एकाउन्टस/2017–18/7593 दिनांक 19.12.2017 की पालना में किराया बढ़ाने का प्रस्ताव है (सलग्न पताका 11) जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–
<table>
<tr><td>कम0 सख्या</td><td>कामकाजी महिला आवास में रहने वाली महिलाओं से लिए जाने वाला कमरे का किराया।</td><td>जो किराया अभी आवास महिलाओं से लिया जा रहा है</td></tr>
<tr><td></td><td>शेयरिंग रूम– 10 प्रतिशत प्रतिमाह वेतन का (सैल्री स्लिप अनुसार)
सिंगल रूम – 15 प्रतिशत प्रतिमाह वेतन का (सैल्री स्लिप अनुसार)</td><td>शेयरिंग रूम– 2750/- माह।
सिंगल रूम – 4500/- माह।</td></tr>
</table></td><td>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि अभी कामकाजी महिला आवास के कमरे का किराया न बढाया जाए। कामकाजी महिला आवास के भवन की रिपेयर उपरान्त ही किराए में वृद्वि की जाए तथा कामकाजी महिला आवास में लगाए गए कर्मचारी वार्डन (आउट सोर्स) स्वीपर (पार्ट टाईम) माली (पार्ट टाईम) इलैक्ट्रिशियन (पार्ट टाईम) प्लम्बर (पार्ट टाईम) गार्ड की स्वीकृति प्रदान करते हुए यदि अन्य गार्ड की आवश्यकता होगी तो आउट सोर्स एजेन्सी से लिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया और</td></tr>
</table>

	स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ	विचार–विमर्श उपरान्त यह भी आदेश पारित किए गए कि कामकाजी महिला आवास धाटे में चल रहा है तथा आउट सोर्स एजेन्सी से वार्डन नियुक्त कर ली गई है तो पूर्व वार्डन को **Re-appoint** करने का कोई औचित्य नही रह जाता है।
बिन्दु न0 31	रैडक्रॉस सोसायटी, गुरुग्राम के लिए 80जी एवं 12ए लेने बारे और रिर्टन भरने बारे। सादर लिखा जाता है कि रैडक्रॉस सोसायटी, गुरुग्राम के लिए 80जी और 12ए लिया जाना जरूरी है क्योकि अब सभी रैडक्रॉस शाखाओं को यह अलग से लेने हेतू हरियाणा राज्य रैडक्रॉस सोसायटी, चण्डीगढ़ द्वारा भी निर्देश दिया गया है कृपया रैडक्रॉस के चार्टर्ड एकउंटेंट के माध्यम से फाईल प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव है। स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ	अनुमोदित किया गया। 80जी और 12ए लिए जाने बारे निर्देश दिए कि चार्टड एकाउन्टेन्ट एवं रैडक्रास सोसायटी के अधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्य शुरू किया जाए तथा इस पर होने वाले खर्चे की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बिन्दु न0 32	रैडक्रॉस एवं सैन्ट जॉन के कर्मचारी/अधिकारियों की सूची:– सादर लिखा जाता है कि जिला रैडक्रॉस सोसायटी एंव सैन्ट जोहन एम्बुलैंस (इण्डिया) गुरुग्राम में कुल 18 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–	अनुमोदित किया गया। रैडक्रास सोसायटी एंव सैन्ट जोहन एम्बुलैंस (इण्डिया) में कार्यरत कर्मचारियों (सलग्न सूची) को अनुमोदित किया गया और माह अगस्त

क्रम संख्या	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	सेवा निवृति की तिथि
1	श्याम सुन्दर शर्मा	सचिव	वर्ष 1995	वर्ष 2026
2	सुभाष शर्मा	सहायक सचिव	वर्ष 1990	वर्ष 2022
3	अन्जू कश्यप	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	वर्ष 2014	वर्ष 2036
4	अतुल कुमार	लिपिक	वर्ष 1993	वर्ष 2025
5	आकांक्षा	लिपिक	वर्ष 1996	वर्ष 2033
6	राम बहादुर	काउन्टर सेल्समैन	वर्ष 1994	वर्ष 2020
7	जोगिन्द्र सिंह	काउन्टर सेल्समैन	वर्ष 1997	वर्ष 2031
8	प्रमोद कुमार	सेवादार	वर्ष 1994	वर्ष 2030
9	पूरन मल	सेवादार	वर्ष 1994	वर्ष 2030
10	फूल कुमार	सेवादार	वर्ष 1998	वर्ष 2035
11	मातादीन	सेवादार	वर्ष 1997	वर्ष 2023
12	बलवान सिंह	चालक	वर्ष 1995	वर्ष 2018
13	जगदीश सिंह	चालक	वर्ष 1995	वर्ष 2022
14	जगदीश चन्द	चालक	वर्ष 1995	वर्ष 2021
15	राम चन्द्र	चालक	वर्ष 1995	वर्ष 2020
16	जय भगवान	चालक	वर्ष 2009	वर्ष 2026
17	श्रीमति सरोज	सेवादार	वर्ष 2007	वर्ष 2036
18	श्रीमति कमला	सफाई कर्मचारी	वर्ष 1998	वर्ष 2027

–2018 में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारी को रिटायरमेन्ट उपरान्त जो भत्ते व लाभ दिए जाने है उसकी भी स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुमोदनार्थ

बिन्दु नं.33	रैडक्रॉस सोसायटी, गुरूग्राम के कण्डम वाहन। सादर लिखा जाता है कि जिला रैडक्रॉस सोसायटी, गुरूग्राम में निम्नलिखित वाहन संख्या एच0 आर0 26 ए0 क्यू 2468 (बुलेरो) जोकि 10 साल पुरानी है। वाहन सख्या एच0 आर0 55 ए0 9789 (स्वराज माजदा) जोकि वर्ष पुरानी है। वाहन सख्या एच0 आर0 26 ए0 8686 (मारूति वैन) जोकि लगभग 20 वर्ष पुरानी है। जिन्हें कण्डम किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिए गए कि दर्शाए गए सभी वाहनो को कण्डम करवाने के लिए उनके दस्तावेज अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाए जाए।
बिन्दु नं.34	आगजनी से प्रभावित जरूरतमंद लोगों की सामाजिक संगठनों, दानवीरों के माध्यम से मद्द। सादर लिखा जाता है कि वर्ष 2017–18 में शहर में 5 जगहों जहॉं स्लम एरिया है बडे स्तर पर आगजनी हुई और लगभग 2500 से 3000 लोग प्रभावित हुए। जिला प्रषासन के निर्देष पर रैडक्रॉस द्वारा नगर निगम, सामाजिक संगठनों एवं रैडक्रॉस के कार्यकारिणी सदस्य के माध्यम से लाखों रूपये विभिन्न मदों पर खर्च किया गया। मुख्य रूप से 200 झोपडियों को पुन: बसाने, जल–पान, भोजन, कपड़ा आदि उपलब्ध करवाने में श्री शरद गोयल कार्यकारिणी सदस्य का भरपूर सहयोग रहा है जिन्होनें दिव्यांगों के लिए रैडक्रॉस भवन में वॉटर कुलर भी उपलब्ध करवाया। इस कार्य में हस्पताल कल्याण समिति ने भी सहयोग किया।	अनुमोदित किया गया व सामाजिक कार्यकर्ता की सराहना की गई।
बिन्दु न0 35	वाहनों की प्रदूषण जॉंच मशीन लगाने बारे। सादर लिखा जाता है कि जिले में 5 प्रदूषण जॉंच मशीन शुरू की जाये ताकि आम जन	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि इस बारे में मारूति कम्पनी सी0 एस0 आर0 के

	को सरकारी दर पर सेवा मिल सके।	तहत वाहन मे किट लगाकर दे रही है इसके लिए पी0 आर0 ओ0 उपायुक्त कार्यालय को एक पत्र देना सुनिश्चित करें उसके उपरान्त मारुति कम्पनी से जिला रैडक्रास सोसायटी वाहन लेना सुनिश्चित करें।
बिन्दु न0 36	नशा मुक्ति कार्यक्रम:– जिले में जिस प्रकार से नशे की लत बढ रही है उसे देखते हुए रैडकास सोसायटी द्वारा गत वर्ष 10 से अधिक वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें 1000 से अधिक लोगो को नशे से दूर रहने के लिए सकल्प दिलवाया गया जिससे कुछ युवाओ ने नशे को छोडा भी है/ विशेष तौर से दो वर्कशॉप का आयोजन राजकीय महॉ विघालय सैक्टर–9 में किया गया व दो वर्कशॉप का आयोजन रैडकास सोसायटी, चन्दन नगर, सैक्टर–15, पार्ट–2, गुरुग्राम में आयोजित किए गए। नशा मुक्ति वर्कशॉप के आयोजन के लिए भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ से एक लाख रूपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी, वर्कशॉप पर 73679/–.रूपये की राशि खर्च हुई। शेष ...26321/–रूपये व	अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि नशे के प्रचार–प्रसार के लिए वर्कशॉप लगाने, होर्डिंग बोर्डस बनवाने के लिए तीन सदसीय कमेटी सचिव, सहायक सचिव, एंव लेखाकार की गठित की गई।

	26321/–रूपये व उपयोगिता प्रमाण पत्र भारतीय रैडक्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ को भिजवा दिया गया है।वर्ष 2018–19 में नशा मुक्ति कार्यक्रम को उपमण्डल स्तर एंव खण्ड स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव है इसके लिए वर्ष भर में 12 वर्कशॅप आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।	
बिन्दु न0 37	फर्स्ट एड एंव होम नर्सिंगः– सैन्ट जोहन एम्बुलैंस (इण्डिया) द्वारा फर्स्ट एड एंव होम नर्सिंग का प्रशिक्षण विभिन्न स्कूलो , फैक्ट्रियों तथा रैडकास भवन में फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया जाता है वर्ष 2017–18 में दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा निम्नप्रकार हैः– 1. फर्स्ट एड प्रोफेशनल ट्रैनिंग 5387 2. होम नर्सिंग प्रोफेशनल ट्रैनिंग 107 3. सीनियर स्कूलो में फर्स्ट एड ट्रैनिंग 117 4. जूनियर स्कूलो में फर्स्ट एड ट्रैनिंग 3336 5. कालेज में फर्स्ट एड ट्रैनिंग 171	अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश दिए गए कि अनूसूचित जाति के युवाओ को प्रशिक्षण देने का कार्य शीध्र पूरा किया जाए तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बधित विभाग को भेजा जाए तथा नई ग्रान्ट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाए। इसके साथ–साथ जिले में सभी ग्राम पंचायतों में फर्स्ट एड ,होम नर्सिंग एंव डिजास्टर का प्रशिक्षण दिया जाए व एक–एक फर्स्ट एड बाक्स भी दिया जाए। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत दस हजार रूपयें जिला रैडक्रास सोसायटी/सैन्ट जोहन एम्बुलैंस

	[illegible] स्कूलो में फर्स्ट एड ट्रैनिंग 23 [illegible] एन एस एस कैम्प 23 [illegible] 1000 ड्राईवर्स एंव कन्डैक्टर को फर्स्ट एड प्रोफेशनल ट्रैनिंग प्रदान की गई। जिससे कि वो स्कूलो में बच्चो की सुरक्षा कॅर सकें। [illegible] अनुसूचित जाति एंव पिछडा कल्याण विभाग हरियाणा, चण्डीगढ के सहयोग से 1000 अनूसूचित जाति के युवक एंव युवतियों को फर्स्ट एड एंव होम नर्सिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 7,50,000/–रूपये (सात लाख पच्चास् हजार रूपये) की अनुदान राशि प्राप्त हुई, जिससे अभी तक 438 युवाओ को निशुल्क ट्रैनिंग दी जा चुकी है, शेष 562 को ट्रैनिंग देने का कार्य जारी है। 10.ट्रैफिक पुलिस के 150 कर्मचारियों को निशुल्क ट्रैनिंग प्रदान की गई। 11.फायर ब्रिगेड के 50 कर्मचारियों को निशुल्क ट्रैनिंग प्रदान की	(इण्डिया) को देगी व जिला रैडकास सोसायटी/सैन्ट जोहन एम्बुलैंस (इण्डिया) द्वारा प्राप्त राशि की रसीद ग्रांम पंचायत को दी जाएगी। यह कार्य जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।

	गई। विभिन्न सरकारी एंव गैर सरकारी विभागो में किसी भी आपदा से बचाव के लिए निशुल्क फर्स्ट एड एंव होम नर्सिंग का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है तथा प्रस्ताव है कि सभी ग्राम पंचायतों में फर्स्ट एड/होम नर्सिंग ट्रैनिंग एंव डिजास्टर पर एक–एक दिन का वर्कशॉप आयोजित किया जाए जिसके बदले ग्राम पंचायत एक मुश्त दस हजार रूपये रैडकास सोसायटी, सैन्ट जोहन एम्बुलैस (इण्डिया) इसके लिए फर्स्ट एड एंव होम नर्सिंग के प्रशिक्षण सहित महत्वपूर्ण जौनकारी उपलब्ध करवाएगा तथा गॉव में टीम द्वारा मॉक ड्रिल भी करवाई जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक बडाफर्स्ट एड बाक्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि किसी भी आपदा के समय फर्स्ट एड बाक्स का सही इस्तेमाल किया जा सके। ग्राम पंचायत को रैडकास सोसायटी की ओर से सम्मान पत्र भी दिया जाएगा।	

	• रैडकास सोसायटी द्वारा यह भी प्रयास है कि दूर–दराज के गॉव में युवाओ को उपमण्डल स्तर पर ही फर्स्ट एड एंव होम नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जाए जिसके लिए उपमण्डल अधिकारी (ना0) कार्यालय में उप–शाखा खोलकर यह सेवा दी गई है, जिससे युवाओ का समय व राशि दोनो की बचत होती है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
बिन्दु न0 38	गार्डस को फर्स्ट एड ट्रैनिंग देने बारे। Director of Industries & Commerce, Haryana, Chandigarh कार्यालय के पत्र कमांक टी0 एस0/सैन्ट जोहन एम्बुलैंस/4460–ए0 दिनांक 05.04.2018 एंव भारतीय रैडकास सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ कार्यालय	अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि उपरोक्त कार्य आरम्भ करने के लिए भारतीय रैडक्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ को पत्र लिखा जाए और उच्च अधिकारियों से मिलकर गार्डस के लिए फर्स्ट एड की ट्रैनिंग शत–प्रति श त लागू करवाई

	के पत्र कमांक सैन्ट जोहन/रूलिंग/2018–19/1599–1620 दिनांक 14.05.2018 प्राप्त हुआ है, जिसमें सभी कम्पनी आदि में कार्यरत गार्डस को फर्स्ट एड प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसके लिए सभी कम्पनी, शिक्षण संस्थान, आदि को पत्र लिखे जाने का प्रस्ताव है। स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	जाए एंव जो गार्ड /एजेन्सी अपनी स्वेच्छा से यह प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है वह पूर्व की भाँति सैन्ट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।
बिन्दु न0 39	20 सूत्रिय कार्यक्रम हेतू दस जिला शाखाओ का चयनः– जिला शाखा गुरूग्राम का चयन महॉमहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा 10 मजबूत शाखाओ में किया गया है। वर्ष 2020 में भारतीय रैडकास सोसायटी को **established** हुए 100 वर्ष पूरे होने जा रहे है, जिसके लिए 20 सूत्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है, इस कार्यक्रम में पूर्ण भागीदारी के लिए जिला शाखा गुरूग्राम को भी चुना गया है। (सलग्न पताक 12) अनुमोदनार्थ एंव स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला शाखा गुरूग्राम को 10 अच्छी शाखाओं में शामिल किया गया इसकी बधाई दी व 20–20 कार्यक्रम के लिए और अधिक ढंग से कार्य किए जाए तथा रिकार्ड रखने बारे निर्देश जारी किए गए।
बिन्दु न0 40	अध्यक्ष महोदय की सहमति से अन्य बिन्दुः–	1. अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला रैडकास

		सोसायटी की आय की वृद्वि बारे निर्देश दिए गए कि उपायुक्त कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त, सभी उपमण्डल अधिकारी (ना0), नगराधीश, डी0 ई0 टी0 सी0, एक्साईस, डी0 ई0 टी0 सी0, एक्साईस, (ईस्ट) डी0 ई0 टी0 सी0, एक्साईस, (वैस्ट) जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी, तहसीलदार को रैडकास सोसायटी की ओर से एक–एक रसीद बुक जारी की जाए और उपरोक्त रसीद से प्राप्त राशि बगैर देरी के रैडक्रास सोसयटी के खाते में जमा करवाने व इसकी निगरानी के लिए रैडकास सोसायटी को निर्देश जारी किए गए। सर्व सम्मति से यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि रैडक्रास सोसायटी

		में राशि। स्वेच्छा से दान करने वालो से ली जाए यदि कोई उधौगपति भी दान देना चाहते है तो उनसे भी दान स्वरूप राशि लेकर रसीद दी जाए। 2. अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश दिए गए कि मानेसर में जो केन चलाने का कार्य किया जा रहा है उसकी मोनिटरिंग की जाए। उनसे प्राप्त राशि रैडक्रास कार्यालय में जमा करवाई जाए, जिस अनुपात के अनुसार कार्य दिया गया है उसी अनुसार ठेकेदार/फर्म को राशि जारी की जाए। इसके अतिरिक्त यदि जिले में क्रेन आदि का कार्य किसी अन्य स्थान पर या इस प्रकार का कोई और कार्य शुरू करना है तो इस बारे में काम शुरू करने की स्वीकृति दी गई।

		3. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि लाईसेन्स बनवाने के लिए मेडिकल एंव ब्लड ग्रुपिंग का कार्य आरम्भ किया जाए तथा इसमें वही फीस आमजन से ली जाए जो सामान्य हस्पताल द्वारा निर्धारित है। यह कार्य लघु सचिवालय मे किसी कैबिन में किया जाए। 4. अध्यक्ष महोदय द्वारा रैडक्रास सोसायटी की किराए पर दी गई दुकानो की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए निर्देश जारी किए गए है। जो फाईल अलग से प्रस्तुत की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का समापन्न किया गया व सभी ने अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया व धन्यवाद किया।

10/7/18
उपायुक्त एंव प्रधान
जिला रैडक्रास सोसायटी,
गुरूग्राम। DC Gurugram